रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1989 (आषाढ़ 24, 1911)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1989 (ASADHA 24, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	547
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	717
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	867
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के विनिश्चय तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भाग II के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	601
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	659
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनसें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	661
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	89
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी खण्डों में मूल्य और मृत्यु के आंकड़ों को निकालने वाला अनुपूरक	

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	547
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	717
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	867
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	601
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	659
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	661
PART IV—Advertisements and Notices Issued by Private Individuals and Private Bodies .	89
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1989

सं० 57-पेज/89—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पुरुषोत्तम शर्मा, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल नं० सी-1779
डी० आर० पी० लाइन्स
जिला : ग्वालियर,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 अप्रैल, 1987 को डी० आर० पी० लाइन ग्वालियर के हैड कांस्टेबल रामानन्द, कांस्टेबल भगवानदास और कांस्टेबल पुरुषोत्तम शर्मा को रवि पांडे तथा भगवानदास कमारिया नामक विचाराधीन कैदियों को जिला न्यायालय ग्वालियर ले जाने के लिए मार्गरक्षण हेतु तैनात किया गया। लगभग दिन के 3.30 बजे उक्त विचारणाधीन कैदियों सहित मार्ग रक्षी दल आटोरिक्शे में केन्द्रीय जेल वापस आ रहा था। जब वे रामदास की घाटी पहुंचे तो एक फिएट कार उनके पीछे से आकर आटोरिक्शे के आगे खड़ी हो गयी और रास्ता रोक दिया। इसी बीच पीछे से एक और एमबेस्टर कार भी आई तथा आटोरिक्शे के नजदीक खड़ी हो गई। बन्दूकों तथा रिवाल्वरों से लैस लगभग 10-12 सशस्त्र युवक एमबेस्डर कार से बाहर आए तथा उन्होंने आटोरिक्शा और मार्गरक्षी दल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। हमलावरों ने दोनों विचारणाधीन कैदियों को मार डालने के विचार से उन्हें भगा ले जाने की कोशिश की। कांस्टेबल पुरुषोत्तम शर्मा इस एकाएक अन्धाधुन्ध गोली बारी के दौरान गोली चलने से घायल हो गए घायल होने के बावजूद उन्होंने साहस नहीं खोया और वे अपराधियों के साथ दृढ़ता तथा साहस के साथ लड़ते रहे। अन्ततः वे विचारणाधीन कैदियों को भगाकर ले जाने के आततायियों के प्रयास को विफल करने में सफल हो गए।

आततायियों के साथ हुई इस झड़प में एक विचारणाधीन कैदी रवि पांडे भी गोली लगने से घायल हो गया और बाद में घायल होने से उसकी मृत्यु हो गई।

आततायियों के साथ हुई हाथापाई के दौरान कांस्टेबल, पुरुषोत्तम शर्मा के शरीर में अनेक गहरे घाव हो गए। परन्तु अपने घावों की परवाह न करते हुए वे बदमाशों के साथ तबतक लड़ते रहे जब तक कि वे भाग नहीं गए। इस घटना के दौरान उन्होंने न केवल अपराधियों को विचारणाधीन कैदियों को भगाकर ले जाने से रोका बल्कि कैदी भगवानदास कमारिया की जिन्दगी भी बचाई। बुरी तरह घायल हो जाने के कारण कांस्टेबल पुरुषोत्तम शर्मा भी अन्ततः चल बसे।

इस घटना में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 1987 से दिया जाएगा

सं० 58-पेज/89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री निर्मल सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
80 वीं० बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

3 मार्च, 1988 को रात के लगभग 11.10 बजे पुलिस, निरीक्षक निर्मल सिंह, जो छः दिन के आकस्मिक अवकाश पर थे, अपने मूल निवास स्थान, ग्राम कड़ी—सहरी, जिला—होशियारपुर, में होली की पूर्व सन्ध्या पर एक मन्दिर के समारोह में भाग ले रहे थे। उसी समय ए० के०—47 राईफलों से लैस लगभग 6 से 8 आतंकवादियों ने वहां एकत्रित जनसमूह पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरु कर दी।

एक बहुत अच्छे प्रशिक्षित होने के नाते निरीक्षक निर्मल सिंह आतंकवादियों की गोलियों से स्वयं को बचा सकते थे, परन्तु उन्होंने आतंकवादियों का सामना करना पसन्द किया। उन्होंने लोगों को छुपाने में उनकी सहायता की और इस प्रकार निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उन्होंने काफी लोगों को आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होने से बचाया। उन्होंने भयभीत हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर निहत्थे ही आतंकवादियों से निपटने के उद्देश्य से वापस आए। इस प्रक्रिया में उनकी दाईं आंख की भौं पर एक गोली लगी, जो उनकी खोपड़ी में घुस गई। निरीक्षक निर्मल सिंह के इस साहसिक कार्य का बखान उस पूरे कस्बे में किया जाने लगा। कई बहुमूल्य जाने बचाने में उन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया, उसकी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रशंसा की गई।

इस घटना में श्री निर्मल सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता और उच्चकोटि के साहस का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 59-पेज-89—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महेश सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन : रहुई,
जिला—नालन्दा,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15 जून, 1985 को शाम के लगभग 6.30 बजे कुछ होमगार्ड के जवान और स्थानीय चौकीदार सहित उप-निरीक्षक महेश सिंह राष्ट्रीय राजपथ पर गश्त लगा रहे थे। कूट फैक्ट्री के नजदीक पहुंचने पर उन्होंने दो व्यक्तियों को

फैक्ट्री के पास संदिग्ध स्थिति में खड़ा देखा। उन्होंने सड़क के पूर्वी भाग की झाड़ियों से कुछ कानाफूसी की आवाजें भी सुनी। चौकीदार ने सूचित किया कि ये शिवन पासवान और मथन पासवान नामक दो जाने माने अपराधी हैं।

ज्योंही पुलिस दल अपराधियों के पास पहुंचा तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे चार और व्यक्ति भी भागे, जो झाड़ियों में छिपे हुए थे। श्री महेश सिंह ने ड्राइवर को वाहन रोकने के लिए कहा और होमगार्ड के जवानों को उनका पीछा करने को कहा। अपराधी दो दिशाओं को भागे। शिवन पासवान सड़क के पूर्व की ओर भागा और पांच अन्य सड़क के पश्चिम की ओर भागे। श्री महेश सिंह ने शिवन पासवान का पीछा किया और पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने शेष अपराधियों का पीछा किया। श्री महेश सिंह जब अपराधी के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने उसे रुक जाने और आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। उप-निरीक्षक महेश सिंह को अपने करीब पाकर अपराधी ने उन पर गोली चला दी, श्री महेश सिंह सौभाग्यवश घायल होने से बच गए। तथापि, इससे महेश सिंह भयभीत नहीं हुए और वह अपराधी का पीछा करते रहे। अपराधी ने बाद में स्थिति संभाली और श्री महेश सिंह पर पुनः गोली चलाई। गोली उनके टांग पर लगी और वे गिर पड़े। घायल होने के बावजूद उन्होंने साहस नहीं खोया और दुबारा अपराधी को गोलीबारी बन्द करने तथा आत्मसमर्पण कर ने की चेतावनी दी। इस पर अपराधी ने भी श्री महेश सिंह को अपनी रिवाल्वर फेंक देने और आत्मसमर्पण करने को ललकारा। श्री महेश सिंह ने अपनी रिवाल्वर से अपराधी पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। कुछ देर बाद गोलीबारी रुकने पर श्री महेश सिंह धीरे-धीरे अपराधी की तरफ बढ़े और उन्होंने उसे मृत पड़ा हुआ पाया। मृत अपराधी से एक देशी, .315 पिस्तौल, कुछ खाली-भरे हुए कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री महेश सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जून, 1985 से दिया जाएगा।

सं० 60-प्रेज-89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुलदीप सिंह,
कांस्टेबल सं० 810490027,
49 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया

6 अगस्त, 1987 को प्रातः लगभग 6.00 बजे स्वर्ण मन्दिर परिसर से बाहर आ रहे संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के लिए स्वर्ण मन्दिर परिसर के पीछे कटरा दल सिंह चौक पर कांस्टेबल कुलदीप सिंह सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी द्वारा विशेष नाकाबन्दी की गई। प्रातः लगभग 8.30 बजे उन्होंने दो साइकिल चालकों को रोका, जो अपनी साइकिलें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। नाकाबन्दी दल ने गलियों में काफी दूर तक संदिग्ध आतंकवादियों का पीछा किया। उनमें से एक आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल निकाली और नाकाबन्दी दल पर गोली चलाने की कोशिश की। कांस्टेबल कुलदीप सिंह, जो पीछा करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, खतरे को भांपकर, आतंकवादी पर झपट पड़े और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उसे दबोच लिया। आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाई परन्तु कांस्टेबल कुलदीप सिंह उसे दबोचे हुए होने के कारण घायल नहीं हुए। आतंकवादी ने, जो कांस्टेबल से अधिक बलवान था, अन्य पुलिस कार्मिकों को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपनी पूरी ताकत लगाई और कांस्टेबल कुलदीप सिंह की पकड़ से निकल गया। उग्रवादी ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोली चलाकर भागने की कोशिश की। एक उप-निरीक्षक और एक कांस्टेबल ने उग्रवादी पर तुरन्त गोली चलाई, जिसकी तत्काल मृत्यु हो गई। नाकाबन्दी दल ने दूसरे उग्रवादी का पीछा किया परन्तु वह बाजार की भीड़भाड़ वाली गलियों से भाग निकला। मृत आतंकवादी की बाद में शिनाख्त होने पर पता चला कि वह अमृतसर का अमरजीत उर्फ बिट्टू था जो हत्या के अनेक मामलों में शामिल था। मृत आतंकवादी से 7.63 की भरी हुई एक विदेशी पिस्तौल, गोला-बारूद के कुछ खाली कवर और एक अतिरिक्त भरी हुई मेगजीन बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री कुलदीप सिंह, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 61-प्रेज-89—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री उत्तम राजाराम भोसले,
कांस्टेबल सं० 3561,
थाना: थाणे नगर,
थाणे,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 सितम्बर, 1987 को थाणे नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल उत्तम राजाराम भोसले दोपहर का भोजन करने के लिए विश्वरोली स्थित अपने निवास को जा रहे थे। लगभग दिन के 12.45 बजे जब वे थाणे रेलवे स्टेशन के निकट पहुंचे तो उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। उन्होंने एक व्यक्ति को जिसके हाथ में एक रिवाल्वर था, मैडिकल और जनरल स्टोर के सामने वाले रिक्शा स्टैंड की ओर निशाना लगाते हुए देखा। रिवाल्वर वाले व्यक्ति तथा उसके दो साथियों ने रेलवे स्टेशन की ओर भागना शुरू किया। कांस्टेबल भोसले ने "पकड़ो-पकड़ो" चिल्लाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वे कोपरी कालोनी जाने के लिए रेल की पटरी पार करने ही वाले थे कि कांस्टेबल भोसले उस व्यक्ति पर जिसके हाथ में रिवाल्वर था झपट पड़े, तथा उसको पकड़ लिया। दोनों रेल की पटरी पर गिर पड़े तथा इस प्रक्रिया में रिवाल्वर कुछ दूर जा गिरा। उनमें से एक व्यक्ति, जो कुछ आगे निकल गया था, अपने साथी के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर, वापस आया और रिवाल्वर दिखाकर कांस्टेबल की बाईं आंख और पीछे लातें मारनी शुरू कर दीं। इसके परिणामस्वरूप, कांस्टेबल भोसले की पकड़ ढीली हो गई और अपराधी भागने में सफल हो गया। उनमें से दो व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में भाग निकले। कांस्टेबल भोसले ने उस व्यक्ति का जिसके हाथ में रिवाल्वर था पीछा किया और कांस्टेबल भोसले अपराधी के निकट पहुंचे तो वह अचानक पीछे मुड़ा और श्री भोसले पर गोली चला दी, जो कि सौभाग्यवश उनको नहीं लगी। अपराधी ने श्री भोसले पर दुबारा गोली चलाई, पर वह भी उनको नहीं लगी।

उसी समय एक व्यक्ति ने सब्जी मार्किट के निकट अपनी कार रोकी। अपराधी कार की ओर दौड़ा, तथा चालक की ओर रिवाल्वर का निशाना बनाकर आगे वाली सीट पर बैठ गया और चालक को कार चलाने को कहा। कांस्टेबल भोसले तुरन्त कार की ओर दौड़े और कार का अगला दरवाजा खोलकर चालक और उसके साथ बैठी लड़की को बाहर निकाल कर उन्हें वहां से भाग जाने को कहा। जब वह ऐसा कर रहे थे तो अपराधी ने उन पर एकबार पुनः गोली चलाई। कांस्टेबल भोसले ने तब अपराधी पर काबू पा लिया और उसका रिवाल्वर छीन लिया। इस दौरान अन्य प्रतिद्वन्द्वी समूह के 4-5 गुण्डे घटना स्थल पर पहुंचे जिन्होंने अपराधी पर हमला किया और उसके सिर पर तलवार से वार करके घायल कर दिया जिसके कारण अपराधी कार में गिर गया। उसी समय, पुलिस के एक उप-निरीक्षक भी अपने कुछ साथियों सहित वहां पहुंच गए, उन्होंने अपराधी को अस्पताल भेज दिया। अपराधी की बाद में विश्वरोली के कुख्यात गुण्डे, भगवान विट्ठल पोसकर के रूप में शिनाख्त हुई, जिसकी फौजदारी के कई मामलों में तलाश थी।

इस घटना में, श्री उत्तम राजाराम भोसले, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 सितम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सं० 62-प्रेज-89—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कंवर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक
49 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

स्वर्ण मन्दिर परिसर में बी० टी० ई० और के० सी० एफ० के कुछ कट्टर आतंकवादियों के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 49 वीं बटालियन के पुलिस उप-अधीक्षक श्री कंवर सिंह को 17 सितम्बर, 1987 की सुबह दाब बस्ती राम, अमृतसर शहर के निकट विशेष नाकाबंदी करने के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने 13 जवानों के दल को तीन ग्रुपों में बांटकर तथा चौक के तीन कोनों में तैनात करके चतुराई पूर्वक नाका बंदी की ताकि दल एक दूसरे की मदद कर सके और तीनों सड़कों पर नजर रख सके। प्रातः लगभग 7.45 बजे खोती बाजार की ओर से तीन व्यक्ति साइकिलों पर आए। एक साइकिल सवार लकड़ मंडी बाजार की बायीं ओर मुड़ा और दूसरा उसके पीछे-पीछे गया। एक उप-निरीक्षक, जो वहां से गुजरने वालों पर अपने स्थान से ध्यानपूर्वक नजर रखे हुए था, ने दूसरे साइकिल सवार को पहचान लिया जो कट्टर आतंकवादी कुलविन्दर सिंह था जिसको उन्होंने परिसर में पहले भी देखा था। उन्होंने तुरन्त दूसरी ओर के दल को चिल्लाकर साइकिल सवारों को रोकने के लिए कहा। दल की गतिविधि को देखते हुए, साइकिल सवार ने अपनी पिस्तौल निकाली और अपनी ओर आते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान पर गोली चलाने की कोशिश की। चिल्लाहट सुनकर और साइकिल सवारों को पिस्तौल निकालते हुए देखकर श्री कंवर सिंह तुरन्त साइकिल सवार पर कूद पड़े और उसके हाथ को पकड़ लिया जिसमें उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी। यद्यपि, आतंकवादी ने अपनी पिस्तौल से कुछ गोलियां चलायी परन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी भी जवान को गोली नहीं लगी क्योंकि श्री कंवर सिंह आतंकवादी के पिस्तौल वाले हाथ को नीचे की ओर दबाए रहे। आतंकवादी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था और अपने पिस्तौल से गोली चलाता रहा। आतंकवादी के खतरनाक रवैये को देखकर एक नायक और एक कांस्टेबल ने साथ-साथ गोलियां चलाई, जिससे आतंकवादी की तुरन्त मृत्यु हो गई।

इसी दौरान, पहला साइकिल सवार, जो बहुत आगे निकल चुका था, लकड़ मण्डी बाजार की ओर भागा। चौक के दूसरे किनारे पर तैनात दूसरे दल के दो कांस्टेबलों ने बाजार में साइकिल सवार का पीछा किया। इन कांस्टेबलों द्वारा चुपके पूर्वक पीछा किए जाने को देखकर आतंकवादी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों कांस्टेबलों ने जवाब में डटकर गोली चलाई, जिससे आतंकवादी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाद में इन आतंकवादियों की पहचान करने पर यह पाया गया कि ये बलविन्दर सिंह और परजट सिंह थे। जिनका हत्या के अनेक मामलों में हाथ था।

इस मुठभेड़ में श्री कंवर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 सितम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

दिनांक 29 जून 1989

सं० 63-प्रेज/89-शुद्धिपत्र—गणतन्त्र दिवस 1989 के उपलक्ष पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 4 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित इस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 12-प्रेज/89, दिनांक 26 जनवरी, 1989 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पृष्ठ 16 पर क्रम संख्या 2

श्री हरीश चन्द्र बिश्नोई,
कांस्टेबल,
तीसरी बटालियन, आर० ए० सी०,
जयपुर,
राजस्थान

के स्थान पर

श्री हरीश चन्द्र बिश्नोई,
प्लाटून कमाण्डर (एम० टी० ओ०),
तीसरी बटालियन, आर० ए० सी०,
जयपुर,
राजस्थान।

पढ़ें।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० ब्रांच)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 1989

सं० 4/1-पी० यू०/89—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता में उनके नाम के समक्ष लिखी गई तारीख से त्यागपत्र दे दिया है :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री मोहम्मद महफूज अली खां	12-5-1989

राज्य सभा के सदस्य

2 श्री दीपेन घोष	12-5-1989
3. श्री कमल मुरारिका	12-5-1989

दिनांक 26 मई 1989

सं० 4/1-पी० यू०/89—श्री टी० आर० बालू, सदस्य, राज्य सभा ने 18 मई, 1989 से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

दिनांक 16 जून 1989

सं० 4/1-पी० यू०/89—श्री अजित कुमार साहा ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सदस्यता से 9 जून, 1989 से त्यागपत्र दे दिया है।

आर० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 मई 1989

संकल्प

सं० एस-13043/12/(14)/87-कृषि—यह निर्णय लिया गया है कि डा० महेश पाठक, निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्या नगर 338120 जिला खेड़ा गुजरात के स्थान पर श्री एस० एम० आचार्य के प्रोफेसर कृषि अर्थशास्त्र राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-334002 क्षेत्र सं० 14-पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के लिए भारत सरकार, योजना आयोग संकल्प सं० एम (13043/12/87-कृषि दिनांक 5-6-88 के अनुसार गठित आयोजन दल के तत्काल प्रभाव से सदस्य सचिव होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि आयोजन दल के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी संबद्ध मंत्रालयों और विभागों को संकल्प की प्रति प्रेषित की जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र डंगवाल, निदेशक (प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1989

संकल्प

सं० फा० 4(5)/87-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत की स्वतन्त्रता की 40वीं वर्षगांठ और नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान "नेहरू और संसदीय लोकतन्त्र" विषय पर एक अखिल भारतीय हिन्दी लेख प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया है। इस योजना का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम "नेहरू और संसदीय लोकतन्त्र" हिन्दी लेख प्रतियोगिता होगा।

2. योजना का उद्देश्य :

संसदीय लोकतन्त्र में जनता का अभिरुचि को जागृत करने तथा उस पर हिन्दी लेखन को प्रोत्साहन देना है।

3. प्रतियोगिता का क्षेत्र :

(क) प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी परन्तु इसे दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है :—

(1) उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, राज्य और दिल्ली, चन्डीगढ़ तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

(2) अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, गोआ, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम राज्य और दमन और द्वीव, दादरा और नागर हवेली, पाण्डिचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

(ख) क्षेत्रों के लिए प्रतियोगिताएं अलग-अलग आयोजित की जाएंगी तथा उनके पुरस्कार भी अलग अलग ही होंगे।

4. पुरस्कार की राशि :

(क) योजना के दोनों क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार पृथक-पृथक दिए जाएंगे :—

(क) प्रथम पुरस्कार : (2) रु० 1000 (एक हजार रु०) प्रत्येक

(ख) द्वितीय पुरस्कार (3) रु० 750 (सात सौ पचास) प्रत्येक

(ग) तृतीय पुरस्कार (5) रु० 500 (पांच सौ रुपये) प्रत्येक

(ख) पुरस्कार नेहरू जन्म दिवस अर्थात 14 नवम्बर, 1989 को एक विशिष्ट समारोह में प्रदान किए जायेंगे।

5. पात्रता :

(क) भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकेंगे।

(ख) प्रतियोगी स्नातक या उससे अधिक उपाधि प्राप्त होना चाहिए।

(ग) प्रतियोगी उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जिसके लिए वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा है।

6. विषय :

प्रतियोगिता का विषय "नेहरू और संसदीय लोकतन्त्र" होगा।

7. सामान्य शर्तें :

(क) लेखकों से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन पत्र के साथ लेख की 3 प्रतियां भेजें।

(ख) प्रतियोगिता के लिए लेख को, प्रतियोगी द्वारा स्वयं लिखा जाना चाहिए।

(ग) लेख किसी पुस्तक से उद्धृत अथवा लघुकृत नहीं किया गया होना चाहिए।

(घ) लेख किसी अन्य भाषा में पूर्व प्रकाशित लेख का हिन्दी अनुवाद नहीं होना चाहिए।

(ङ) पुरस्कृत लेख पर मंत्रालय का यह अधिकार होगा कि वह उसे किस रूप में प्रकाशित अथवा उद्धृत कर सकेगा।

(च) प्रस्तुत लेख को किसी अन्य योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त नहीं होना चाहिए।

(छ) संसदीय कार्य मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं का चयन और इस प्रकार के चयन को विनियमित करने वाले नियम आदि बनाने का अनन्य अधिकार होगा।

(ज) संसदीय कार्य मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अनन्य अधिकार होगा।

(झ) लेख एक निर्धारित तारीख तक ही स्वीकार किए जायेंगे।

8. लेख की सीमा :

लेख अधिकतम 3000 शब्दों का होना चाहिए।

9. मूल्यांकन समिति :

(क) पुरस्कार प्रदान किए जाने के बारे में निर्णय एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी जिसका पदेन अध्यक्ष सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय होगा। समिति के तीन सदस्य बाहर के व्यक्ति होंगे जो कि विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञ होंगे।

(ग) मूल्यांकन की पूर्ण प्रक्रिया का निर्धारण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों/विशेषज्ञों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथानिर्धारित मानदेय और/अथवा इस संबंध में की गयी यात्राओं के लिए नियमानुसार अनुज्ञेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

विविध :

10. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रमुख हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रतियोगियों से लेख आमंत्रित करेंगे।

11. पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को मूल्यांकन समिति के निर्णय की सूचना मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

12. पुरस्कारों का वितरण विशेष तौर पर आयोजित एक समारोह में किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त कर्त्ताओं को आने-जाने का रेल का किराया दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देवराज तिवारी, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1989

सं० 10/1/89-के० से०-II—इस विभाग की दिनांक 20-5-89 की अधिसूचना संख्या 10-1-89-के० से०-II का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं।

कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "घ" में, अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1989 के दौरान प्रत्येक तीन महीने में एक बार एक महीने के द्वितीय शनिवार तथा रविवार और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद पड़ने वाली छुट्टी/रविवार को ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और कर्मचारी चयन आयोग को इसकी सूचना आयोग द्वारा यदि आवश्यक समझा जाता है, परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने से पहले दे दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा यथा-निर्धारित रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किए जाएंगे।

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से आशय है जो संविधान (अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1960 संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में दी गई हों और जिसे (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां संशोधन आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) उत्तर प्रदेश आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन, दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 द्वारा संशोधित किया गया है।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। प्रवेश के प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र परिशिष्ट-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सादे कागज पर भेजने होंगे। इन आवेदन पत्रों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा संवीक्षा के बाद अनुबंध-1 में दिए कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

4. नियमित रूप से नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई भी स्थायी या अस्थायी अवर श्रेणी/उच्च श्रेणी लिपिक इस परीक्षा में तथा उन रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकेंगे।

4(1) सेवाकाल : उसने "निर्णायक तारीख" को जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ" [प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के विनियम 2(क) में परिभाषित है] केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में कम से कम 2 वर्षों की अनुमोदित और लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी 1 :—दो साल की अनुमोदित और निरन्तर सेवा की शर्त भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल गिनी जाने वाली सेवा आंशिक रूप से केन्द्रीय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी ग्रेड में हो।

टिप्पणी 2 —केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निःसंवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी निःसंवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च श्रेणी ग्रेड में फिलहाल कोई पूर्व ग्रहणाधिकार चलता जा रहा हो।

टिप्पण : 3—अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी ग्रेड में नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के आरंभ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आवंटित हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड या उच्च ग्रेड में दीर्घकालीन आधार पर जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार नियुक्त हों।

(2) आयु : इस परीक्षा के लिए किसी उम्मीदवार की आयु "निर्णायक तारीख" को (जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा समूह "घ") [प्रतियोगिता परीक्षा विनियम, 1969 के नियम 2(ख) में परिभाषित है] 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस आयु रियायत के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने के लिए जिन उम्मीदवारों को अनुमति दे दी जाती है वे सभी रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5 ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का संदभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत से प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया युगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(ix) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय [परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राज दूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण–पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हैं तथा भारत मूलक का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय पारपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा आपातकाल प्रमाण पत्र रखने वाला ऐसा उम्मीदवार हैं जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद आया हैं तो अधिकतम आठ वर्ष तक ।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा मे किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है ।

6 परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार अगली परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, परन्तु उससे अगली या उसके बाद की ही परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

7. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नही करने दिया जाएगा जिसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश पत्र न हो ।

8. सामान्य उम्मीदवारों को रु० 8.00 (केवल रु० आठ) की निर्धारित फीस पोस्टल आर्डरों या बैंक ड्राफ्टों के द्वारा देनी होगी ।

(अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी होगी) ।

9. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधन द्वारा समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्हक किया जा सकेगा ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य कराया हैं अथवा

(iv) जाली प्रमाण–पत्र या ऐसे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया हैं, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हैं, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा मे या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(xi) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता हैं, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती ।

11. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जितनों को आयोग द्वारा उतीर्ण समझा जाएगा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ब" के पदों में परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी ।

लेकिन यह भी शर्त है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई हो तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य स्तर के अनुसार उस सेवा–पद पर नियुक्ति के लिए उपर्युक्त घोषित कर देने पर उसे सेवा–पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान किए बिना ही उनकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा हैं न कि अर्हक । परीक्षा के लिए परिणामों के आधार पर सेवा के ग्रेड "ब" में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित करने के लिए सरकार पूर्णता सक्षम हैं । अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर ग्रेड "ब" आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नही होगा ।

12. अलग–अलग उम्मीदवारों के परीक्षा–परिणामों की सूचना के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और आयोग उसके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा ।

13. परीक्षा में सफलता मात्र से ही चयन का सब तक कोई अधिकार नहीं मिलता जब तक कि सरकार द्वारा यथावश्यक जांच पड़ताल न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में अपने चरित्र की दृष्टि से चयन के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है ।

वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् अथवा उसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है अथवा उसके संधि विच्छेद कर लेता है, उसके विभाग द्वारा उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार, "स्थानान्तरण" पर किसी संवर्ग बाह्य पद अथवा किसी दूसरी सेवा में

नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्ण ग्रहणाधिकार नहीं होता है उस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

किन्तु यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

14. ये नियम दिनांक 20-5-89 से प्रवृत्त होंगे ।

डा० रविन्द्र सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

परीक्षा पद्धति

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में या हिन्दी में 10 मिनट की एक श्रुतलेख की परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से देनी होगी । जो उम्मीदवार अंग्रेजी परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें 65 मिनट में लिप्यान्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प करेंगे उन्हें क्रमशः 75 मिनट में लिप्यान्तर करना होगा । आशुलिपि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक 300 होंगे ।

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि और जो उम्मीदवार आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी होगी ।

2. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराइटर पर लिप्यान्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने टाइपराइटर लाने होंगे ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तिमाही आशुलिपिक परीक्षा का कार्यक्रम ।

जिस माह में परीक्षा होगी	आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	परीक्षा की तारीख
जनवरी	पिछले वर्ष की 15 नवम्बर की तारीख	जनवरी माह का द्वितीय शनिवार तथा रविवार
अप्रैल	15 फरवरी	अप्रैल माह का द्वितीय शनिवार तथा रविवार
जुलाई,	15 मई	जुलाई माह का द्वितीय शनिवार तथा रविवार
अक्तूबर	15 अगस्त	अक्तूबर माह का द्वितीय शनिवार तथा रविवार

परिशिष्ट—II

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग

ग्रेड "घ" आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा

: यहां उम्मीदवार के पासपोर्ट साइज के :
: फोटो की हस्ताक्षरित प्रति चिपकाई जाए :
: दूसरी हस्ताक्षरित फोटो की प्रति आवेदन :
: पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए । :
: :
: :

(1) पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट का विवरण और मूल्य

(2) उम्मीदवार का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी (साफ अक्षरों में)

(3) सही जन्म तिथि (इस्वी सन् में)

(4) परीक्षा केन्द्र: .....

(5) जिस कार्यालय में कार्य कर रहे हों उसका नाम तथा पता:———

(6) क्या आप

(1) अनुसूचित जाति.....

(2) अनुसूचित जन जाति .....

(7) (1) पिता का नाम

(2) पति का नाम (महिला उम्मीदवार के मामले में)

(8) जिस भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) में आप आशुलिपि परीक्षा देना चाहते हों, उसका नाम लिखें ।

(9) क्या आप पिछली परीक्षा में बैठे थे : यदि हां तो अपना रोल नं० तथा परीक्षा का महीना लिखें ।

(10) (क) क्या आप केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड/उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी हैं और क्या आपने निर्णायक तारीख को संगत ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की लगातार सेवा कर ली है ।

टिप्पणी :—निर्णायक तारीख से तात्पर्य है ।

(1) यदि परीक्षा उस वर्ष की पहली जुलाई से पहले लिए जाने के लिए अधिसूचित की जाती है, तो निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी होगी ।

(2) यदि परीक्षा उस वर्ष की पहली जुलाई के बाद लिए जाने के लिए अधिसूचित की जाती है तो निर्णायक तारीख उस वर्ष की पहली अगस्त होगी ।

(ख) संवर्ग में अवर श्रेणी लिपिक/श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित होने की तारीख ।

(11) यदि आप सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा संवर्ग बाह्य पद पर स्थानांतरण के आधार पर हैं तो क्या आप पूर्व पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखेंगे ।

(टिप्पणी:—नाम व पता दर्शाने वाली छः प्रतियां संलग्न करें)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा भरे जाने के लिए जिसमें उम्मीदवार सेवा कर रहा है ।

प्रमाणित किया जाता है कि :—

(1) आवेदन पत्र के कालमों में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों को उसके सेवा रिकार्डों से जांच कर ली गई है और वे सही हैं ।

(2) उसके आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है और प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है तथा वह परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह से पात्र है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

विभाग/कार्यालय

संख्या .....

तारीख .....

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार एक बार फेल हो जाता है वह केवल अगले तीन महीनों के बाद की परीक्षा में बैठ सकता है अर्थात् जो उम्मीदवार अप्रैल में ली जाने वाली परीक्षा में फेल हो जाए तो वह अक्तूबर अथवा उसके बाद होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 1989

सं० 27/5/89-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री धनराज, निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209-क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

सं० 27/5/89-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के सर्वश्री के० पंचापकेसन, निरीक्षण अधिकारी और टी० अमरनाथ, सहायक निरीक्षण अधिकारी को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

एम० एल० शर्मा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून, 1989

सं० 3/1/86-फ० ब० परि०—फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर 1988 के संकल्प सं० 3/1/86-फ० ब० परि० के आंशिक संशोधन में, तकनीकी सलाहकार समिति को निम्न रूप से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है :—

1.	सदस्य (डी० एंड आर०) केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे	सदस्य
3	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना (वैकल्पिक-सदस्य गं० बा० नियंत्रण आयोग)	सदस्य
4.	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सतही परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	मुख्य इंजीनियर, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
7.	प्रमुख इंजीनियर, सिंचाई विभाग बिहार सरकार,	सदस्य
8.	महाप्रबन्धक, फरक्का बराज परियोजना	सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव तथा योजना आयोग को सूचना हेतु भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए तथा पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया जाए कि इसे जन साधारण की सूचना हेतु राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा० जे० पी० सिंह, अवर सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1989

संकल्प

विषय भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन।

सं० डब्ल्यू० एम० 2(15)/188—भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 1980 के नियम 8 के अनुसरण में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नागरिक पूर्ति विभाग के 12 मार्च, 1983 के संकल्प सं० डब्ल्यू० एम० 9(5)/184 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय विधिक माप-विज्ञान संस्थान, रांची की सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1.	सचिव भारत सरकार, नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली।	सभापति
2.	महाप्रबंधक भारत सरकार टकसाल, मुम्बई।	सदस्य
3.	डा० आर० जी० काम्बले, निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	श्री बी० एस० सलूजा, अपर विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	श्री आर० कुमार, कार्यपालक निदेशक (सेवा) एवरी इंडिया लिमिटेड, 28-कम्यूनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली।	सदस्य
7.	प्रधान, विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
8.	प्रधान वर्कशाप विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य
9.	नियंत्रक, बाट तथा माप, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम।	सदस्य

10.	श्री जी० वी० बिरागी, विधिक मापविज्ञान संयुक्त नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, मुम्बई ।	सदस्य
11.	बाट तथा माप नियंत्रक, मणिपुर सरकार, इम्फाल ।	सदस्य
12.	उप निदेशक, बाट और माप, जम्मू–कश्मीर सरकार, जम्मू ।	सदस्य
13.	प्रशिक्षार्थी प्रतिनिधि, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान ।	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली ।	सदस्य
15.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सहयोजित सदस्य
16.	ग्रुप कैप्टन (सेवा निवृत्त) एम० मुकुटमणि, महानिदेशक, मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण निदेशालय, इलैक्ट्रानिक विभाग, सी–91 साउथ एक्सटेंशन भाग–2, नई दिल्ली–110049 ।	सहयोजित सदस्य
17.	निदेशक, विधिक माप विज्ञान, नागरिक पूर्ति विभाग ।	पदेन सदस्य
18.	प्रधानाचार्य, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची ।	पदेन संयोजक

श्रीमती एम० नागर, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 1989

सं० क्यू०–16011/1/88–ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०)–केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(v) तथा (vii) के साथ पठित नियम 3 (iv) के अनुसरण में, भारत सरकार डा० रामनाथन, सदस्य (कार्मिक), तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, नई दिल्ली के स्थान पर श्री आर० डी० गुप्ता, सलाहकार स्कोप को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से स्कोप का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

2. तदनुसार भारत के राजपत्र, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की तारीख 23/24 जून, 1983 की अधिसूचना सं० क्यू–16012/2/83–डब्ल्यू० ई० में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात :—

"13. डा० एस० रामनाथन, सदस्य(कार्मिक), तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, तीसरा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"13. श्री आर० डी० गुप्ता, सलाहकार, स्कोप,
मार्फत स्कोप, स्कोप कम्प्लैक्स,
7, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110 003 "

सं० क्यू–16011/1/88–ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०)—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, नई दिल्ली के डा० एस० रामनाथन, सदस्य (कार्मिक) के स्थान पर श्री आर० डी० गुप्ता, सलाहकार स्कोप को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय का सदस्य नामित करती है ।

ए० के० चन्दा, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th June 1989

No. 57-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Purushottam Sharma, *(Posthumous)*
Constable No. C/1779,
D.R.P. Lines,
District Gwalior,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd April, 1987, Head Constable Ramanand, Constable Bhagwandas and Constable Purushottam Sharma of D.R.P. Lines, Gwalior, were detailed to escort the under-trial prisoners Ravi Pandey and Bhagwandas Kamariya to District Court Gwalior. At about 15.30 hours, the escort party alongwith the above under-trial prisoners was returning to the Central Jail in an auto-rickshaw. When they reached Ramdas-Ki-Ghati, one Fiat car over-took them and stopped in front of the auto-rickshaw, blocking its way. Meanwhile, another Ambassador car also came from behind and stopped near the auto-rickshaw. About 10-12 youngsters armed with guns and revolvers came out of the Ambassador car and opened indiscriminate firing on the auto-rickshaw and the escort party. The assailants tried to kidnap both the under-trial prisoners with a view to murder them. Constable Purushottam Sharma received bullet injuries during his sudden and indiscriminate firing. Inspite of injuries, he did not lose his nerve and fought with the criminals with determination and courage. He ultimately succeeded in thwarting the attempt of the desperadoes to kidnap the under-trial prisoners.

In the scuffle with the desperadoes, one of the under-trial prisoners Ravi Pandey, also received bullet injuries and subsequently succumbed to his injuries.

Constable Purushottam Sharma received several injuries on his body during his hand-to-hand scuffle with the desperadoes. But unmindful of the injuries, he continued to fight with the criminals until they fled away. In the process, he not only prevented the criminals from kidnapping the under-trials but also saved the life of prisoner Bhagwandas Kamariya. Constable Purushottam Sharma ultimately succumbed to his injuries.

In this incident, Shri Purushottam Sharma, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd April, 1987.

No. 58-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Nirmal Singh, (*Posthumous*)
Inspector of Police,
80 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 3rd March, 1988, at about 23.10 hours, Inspector Nirmal Singh, who was on six days casual leave, was attending a function in a temple at his native place, village Kari-Sahari, District Hoshiarpur on the eve of Holi. At that time about 6-8 terrorists armed with AK-47 Rifles started firing indiscriminately at the congregation.

Inspector Nirmal Singh being a well trained officer, could have easily saved himself from the bullets fired by the terrorists but he chose to face the terrorists. He helped the people to take positions and in this way saved a number of them from the on slaught of the terrorists, without caring for his personal safety. He led the members of panic struck public to safety and thereafter came back to tackle the terrorists bare handed. While doing so, a bullet struck him on the right eye-brow and pierced his skull and he died instantaneously. The heroic act of Inspector Nirmal Singh was the talk of the town. Every-one was full of praise for the courage shown by him in saving many valuable human lives.

In this incident, Shri Nirmal Singh, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry and courage of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1988.

No. 59-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Mahesh Singh,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Rahui,
District Nalanda,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th June, 1985, at about 6.30 P.M., Sub-Inspector Mahesh Singh, alongwith some Home Guard Jawans and local Chowkidar, was on patrolling duty on the National highway. While moving near the Koot Factory, he saw two persons standing near the factory in suspicious manner. He also heard whispering sounds from the bushes on the eastern flank of the road. The Chowkidar informed that they were Shivan Paswan and Maghan Paswan, both well known criminals.

As the Police party reached near the criminals, they started running away. They were also followed by four other persons, who were hiding in the bushes. Shri Mahesh Singh asked the driver to stop the vehicle and ordered the Home Guard Jawans to chase them. The criminals took two directions : Shivan Paswan ran towards east and other five persons towards west of the road. Shri Mahesh Singh chased Shivan Paswan and other members of the Police party followed the remaining criminals. Shri Mahesh Singh, when reached near the criminals, challenged him to stop and surrender. On finding Shri Mahesh Singh within his range, the criminal fired at him but Shri Mahesh Singh luckily escaped unhurt. This however, did not deter Shri Mahesh Singh and he continued to chase the criminals. The criminals later took position and again fired at Shri Mahesh Singh, which hit him on his leg and he fell down. Inspite of being injured, he did not lose courage and again warned the criminal to stop firing and surrender, who in turn shouted at Shri Mahesh Singh to throw his revolver and surrender. Shri Mahesh Singh fired at the criminal from his revolver, which hit the criminal. After some time when firing stopped, Shri Mahesh Singh slowly moved towards the criminal and found him lying dead. One country made .315 pistol, some empty/live cartridges were recovered from the dead criminal.

In this encounter, Shri Mahesh Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admisible under rule 5, with effect from the 15th June, 1985.

No. 60-Pres./89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Kuldeep Singh,
Constable No. 810490027,
49 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 6th August, 1987, at about 06.00 hours, a special naka was laid by the Central Reserve Police Force party including Constable Kuldeep Singh at Katra Dal Singh Chowk behind Golden Temple Complex for checking suspected persons coming out from Golden Temple Complex. At about 08.30 hours they intercepted two cyclists who tried to run away after leaving their cycles. The naka party chased the suspected terrorists through the lanes. One of the terrorists took out his pistol and tried to fire upon the naka party. Constable Kuldeep Singh, who was leading the chase, sensing the danger, jumped upon the terrorists and grappel with him without caring for his personal safety. The terrorist fired few shots from his pistol but as Constable Kuldeep Singh was grappling with him, he was not injured. The terrorist, who was stronger than Shri Kuldeep Singh, seeing the other police personnel approaching fast, put all his strength and got himself released from the grip of Constable Kuldeep Singh. The extremist in a bid to escape, fired indiscriminately on the Police party. One Sub-Inspector and Constable immediately opened fire on the extremist, who died instantaneously. The naka party chased the other extremist, but he managed to escape through the congested streets of the markets. The dead extremist was later identified as Amarjit Singh alias Bittu of Amritsar, who was involved in a number of murder cases. One foreign made loaded pistol of 7.63, few empty cases of ammunition and one spare loaded magazine were recovered from the dead terrorist.

In this encounter, Shri Kuldeep Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th August, 1987.

No. 61-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Uttam Rajaram Bhosale,
Constable No. 3561,
Police Station Thane Nagar,
Thane,
Maharashtra.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 18th September, 1987, Constable Uttam Rajaram Bhosale of Thane Nagar Police Station, was going for lunch to his residence at Vikhroli. At about 12.45 hours, when he reached near Thane Railway Station, he heard a sound of firing. He noticed one person with a revolver in his hand aiming towards the rickshaw stand in front of a medical and general store. The person with revolver and his two associates started running towards Railway Station. Constable Bhosale shouted 'Pakro-pakro' and started chasing them. When they were about to cross the Railway lines to proceed towards Kopri Colony, Constable Bhosale pounced upon the person, who had the revolver in his hand and caught hold of him. Both of them fell down on the railway track and in the process the revolver fell at short distance. On seeing that one of their associates had been caught

by the policeman, one of the two persons who were running ahead came back and at the point of revolver kicked the Constable on buttocks and left thigh. As a result of this the grip of the Constable Bhosale became loose and the culprit managed to escape. Thereafter all the three culprits started running towards Kopri Colony. Two of them managed to escape in the crowded bazar area. Constable Bhosale followed the person, who had a revolver in his hand. When Constable Bhosale, reached near the culprit, he suddenly turned back and fired one short at Shri Bhosale, which luckily missed him. The culprit again fired one round at Shri Bhosale, which also missed him.

At this stage one person stopped his car near the vegetable market. The culprit ran towards the car, pointed his revolver at the driver, occupied the front seat and ordered the driver to drive the car. Constable Bhosale immediately rushed towards the car, opened the front door, pulled out the driver and the girl seated with him and asked them to run away. While he was doing so, the culprit again fired at him. Constable Bhosale then overpowered the culprit and snatched his revolver. In the meantime a rival group of 4-5 goondas reached the spot. They attacked the culprit and inflicted injuries on his head with the sword with the result he fell in the car. At this time Sub-Inspector of Police alongwith some police personnel reached the spot and sent the culprit to Hospital. The culprit was later identified as Bhagwan Vithal Pelkar, a notorious goonda of Vikhroli, who was wanted in several criminal cases.

In this incident, Shri Uttam Rajaram Bhosale, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th September, 1987.

No. 62-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the Officer

Shri Kanwar Singh,
Deputy Supdt. of Police,
49 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has awarded

On receipt of reliable information regarding presence of some hard-core terrorists belonging to BTF and KCT inside the Golden Temple Complex, Shri Kanwar Singh, Deputy Superintendent of Police of 49th Battalion, Central Reserve Police Force, was detailed to lay a special naka near Dab Basti Ram, Amritsar City, in the early hours of the 17th September, 1987. He very tactically laid the naka, dividing the party of 13 men into three groups and positioned them at three corners of the chowk, so that the parties could cover one another, as well as the three approach roads. At about 07.45 hours three persons came on bicycles from Khoti Bazar side. One of the cyclists turned towards left side of Lakad Mandi Bazar, followed by the second. One Sub-Inspector, who was watching the passerby very thoroughly from his position identified the second cyclist as Kulwinder Singh, a hard-core terrorist whom he had seen earlier in the complex, and he shouted to the party at the other end to stop the cyclists. Seeing the movements of the force, the cyclist took out his pistol and tried to fire upon the Central Reserve Police Force men approaching him. Shri Kanwar Singh on hearing the shouts and seeing the cyclist taking out his pistol, immediately jumped upon the cyclist and caught hold of his hand holding the pistol. Although the terrorist fired few shots from his pistol, none of the Central Reserve Police Force personnel could be hit as his hand holding the pistol was held downward by Shri Kanwar Singh. The terrorist was trying hard to get himself free and continued to fire from his pistol. Seeing the furious attitude of the terrorist, a Naik and a Constable simultaneously opened fire causing instanteneous death of the terrorist.

In the meantime, the first cyclist had already gone ahead, sped towards Lakad Mandi Bazar. Two Constables of the second party placed on the other end of the chock, chased the cyclist through the bazar. Seeing the determined chase by these Constables, the terrorist started firing on them. Both the constables returned the fire effectively, causing death of the terrorist on the spot. The terrorists were later identified as Balwinder Singh and Pargat Singh who were involved in a number of murder cases.

In this encounter, Shri Kanwar Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th September, 1987.

The 29th June 1989

CORRIGENDUM

No. 63-Pres/89.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 12-Pres/89, dated 26th January, 1989, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated 4th February, 1989, relating to the award of Police Medal for meritorious service on the occasion of Republic Day 1989 :—

At Page 15 *serial number* 6

For Shri Harish Chandra Bishnoi,
Constable.
3rd Battalion, R.A.C.,
Jaipur,
RAJASTHAN.

Read Shri Harish Chandra Bishnoi,
Platoon Commander (MTO),
3rd Battalion, R.A.C.,
Jaipur,
RAJASTHAN.

S. NILAKANTAN, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 22nd May 1989

No. 4/1-PU/89.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from the dates mentioned against their names :—

Member of Lok Sabha

1. Shri Mohd. Mahfooz Ali Khan	12-5-1989

Members of Rajya Sabha

2. Shri Dipen Ghosh	12-5-1989
3. Shri Kamal Morarka	12-5-1989

The 26th May 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri T. R. Balu, member, Rajya Sabha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 18th May, 1989.

The 16th June 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri Ajit Kumar Saha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 9 June, 1989.

R. D. SHARMA
Jt. Secy.

(PLANNING COMMISSION)

New Delhi-110 001, the 25th May 1989

RESOLUTION

No. M-13043/12(14)/87-Agri.—It has been decided that in place of Dr. Mahesh Pathak, Director, Agro-Economic Research Centre, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388 120, District Kheda, Gujarat, Dr. S. S. Acharya, Professor of Agricultural Economics, Rajasthan Agricultural University, Bikaner-334 002 will be the Member Secretary of the Planning Team for Zone No. 14—Western Dry Region constituted vide the Government of India, Planning Commission Resolution No. M-13043/12/87-Agri dated 3rd June, 1988 with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

I C DANGWAL
Director (Administration)

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 12th June 1989

RESOLUTION

No F 4(5)/87 Hindi—The Ministry of Parliamentary Affairs have decided to introduce an All India Hindi Essay Writing Competition during the 40th Anniversary of India's Independence and birth Centenary year of Nehru, on the subject "Nehru and Parliamentary Democracy' The main features of the scheme are as under —

1 *Name of the Scheme*

Name of the scheme will be Hindi Essay Writing Competition on "Nehru and Parliamentary Democracy"

2 *Aims of the Scheme*

To arouse the interest of public in Parliamentary Democracy and to encourage writing on the subject in Hindi

3 *Area of Competition*

(a) Competition will be organised at All India level but it has been divided into two zones —

(i) States of Uttar Pradesh, Gujarat, Punjab, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, Himachal Pradesh and Union Trritories of Delhi, Chandigarh and Andaman & Nicobar Islands

(ii) States of Arunachal Pradesh, Assam, Andhra Pradesh, Orissa, Karnataka Kerala, Goa, Jammu & Kashmir, Tamil Nadu, Tripura, Nagaland, West Bengal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim and Union Territories of Daman & Diu,, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry, Lakshadweep

(b) Separate competition will be organised for each zones and their prizes will also be separate

4 *Amount of the Prizes*

(a) The separate awards to be given under the scheme for both zones will be as under —

(i) First Prize—Two—(Rupees one thousand each)

(ii) Second Prize—Three—(Rupees seven hundred and Fifty each)

(iii) Third Prize—Five—(Rupees five hundred each)

(b) The awards will be given in a special function on Nehru's Birthday i e 14th November, 1989

5 *Eligibility*

(a) Indian citizens can participate in the competition

(b) Participant should be a Graduate or possessing a higher degree

(c) Participant should be the resident of that zone from which he is participating

6 *Subject*

Competition will be on the subject "Nehru and Parliamentary Democracy"

7 *General terms and conditions*

(a) It is obligatory for the writer to send three copies of the write-up alongwith application form

(b) The write up should be written by the participant himself

(c) Write-up should not be an extract from or abridged version of a book

(d) Write-up should not be the Hindi translation of an article already published in any other language

(e) Ministry of Parliamentary Affairs shall have the right to publish or to quote from the awarded write-up

(f) The write-up should not be a prize winner under any other scheme

(g) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have exclusive right of selection of the recepient of the awards and the formulation of the Rules etc governing such selection

(h) The Ministry of Parliamentary Affairs shall have absolute right to modify the scheme

(j) Write-up will be accepted upto a fixed date

8 *Limit*

Write-up should be limited to 3000 words

9 *Evaluation Committee*

(a) The decision regarding awards will be taken by an Evaluation Committee

(b) Evaluation Committee of 5 Members shall be constituted, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs shall be *Ex officio* Chairman of the Evaluation Committee Three Members of the Committee will be from outside who will be experts on the subject

(c) Whole procedure reg evaluation will be laid down by the Ministry of Parliamentary Affairs All Members/Experts including Chairman, will be paid Honorarium as laid down for the work of evaluation and/or T A /D A as admissible under the rules, for the journeys undertaken in connection with evaluation work

10 *Miscellaneous*

Secretary Ministry of Parliamentary Affairs will invite write-up by advertising in leading Hindi and English Newspapers

11 Ministry will inform the decision of Evaluation Committee to the award winning participants

12 The prizes will be awarded at a special function organised by the Ministry of Parliamentary Affairs

Prize winners will be given to and fro Rail Fare

ORDER

IT IS ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and all Ministries/Departments of the Government of India It is also further ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for General information

D R TIWARI
Dy Secy

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 15th July 1989

RULES

No 10/1/89 CS II—In supersession of the Department's Notification No 10/1/89-CS II dated 20-5-1989, the following Rules are hereby notified —

The rules for competitive examinations to be held by the Staff Selection Commission (Department of Personnel and Training) New Delhi, once every three months during the year 1989 on Saturday and Sunday and if necessary, on the holiday/Sunday following thereafter, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information

2. The number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service to be filled on the result of the examination will be determined by Government from time to time and intimated to the Staff Selection Commission before the results of the examinations are announced by the Commission if necessary. The Reservations will be made for candidates who are, Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

(i) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/ Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Padesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission, in the manner prescribed by in the appendix-I to these Rules. For the purpose of admission the candidates will be required to submit applications, on plain paper as in the form given in appendix-II, which after due scrutiny, will be forwarded by the Ministry/Department/ Office concerned to the Staff Selection Commission as per programme in Appendix I.

4. Any permanent or temporary regularly appointed LDC/ UDC of the Central Secretariat Clerical Service, shall be eligible to appear at the examination and compete for the vacancies.

4(1). Length of Service: He should have on the 'crucial date' [as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D' (Competitive Examination) Regulations, 1969] rendered not less than two years approved and continuous service in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1 : The limit of two years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 2 : Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3 : Regularly appointed officers to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means, an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the Commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 or appointed thereafter on a long-term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Service as the case may be, according to the prescribed procedure.

(2) Age : A candidate for this examination should not be more than 50 years of age on the 'crucial date' [as defined under Regulation 2(a) of the Central Secretariat Stenographers Service Grade 'D' (Competitive Examination) Regulations 1969].

Candidates admitted in the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a scheduled Caste or a scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement in October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport Holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam not earlier than July, 1975;

(x) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport Holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate who fails in the examination will not be eligible to take the next examination but only that following the next examination or subsequent examination.

7. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

8. Candidates must pay the prescribed fee of Rs. 8/- (Rupees Eight only) for general Candidate either by postal order or bank draft.

(No fees are payable by Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates).

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining suppot for his candidature by any means; or

(ii) Impersonating, or

(iii) procuring Impesonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statement which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

11. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in one list, in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination in the Central Secretariat Stenographers' Service Grade 'D'.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Schedule Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Staff Selection Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Note.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade D of the Service on the results of the examination is entirely within the competence to Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade D on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

12. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them, regarding the result.

13. Success in the examination confes no right to selection, unless the Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection.

A candidate who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services ae terminated by his Department or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

14. These Rules take effect from 20-5-1989.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy.
to the Govt. of India

APPENDIX-I

SCHEME OF THE EXAMINATION

Candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minues and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes respectively. The shorthand tests will carry a maximum of 300 marks.

Note.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa, after their appointment.

2. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose, they will be required to bring their own typewriters with them.

PROGRAMME OF QUARTERLY STENOGRAPHY TEST CONDUCTED BY STAFF SELECTION COMMISSION

Month of the Test	Last date of receipt of applications in the Commission	Date of Test
January	15th November of previous year	2nd Saturday and Sunday of January
April	15th February	2nd Saturday and Sunday of April
July	15th May	2nd Saturday and Sundary of July
October	15th August	2nd Saturday and Sunday of October.

APPENDIX-II

PROFORMA

STAFF SELECTION COMMISSION

GRADE 'D' STENOGRAPHERS COMPETITIVE EXAMNIATION

Signed passport size photograph of the candidate to be pasted here. Another signed photograph should be firmly attached to the application.

1. Particulars of Postal Orders/ Bank Draft and the value.

2. Name of the candidate (in capital letters) Shri/Smt/Kum.

3. Exact date of birth (in Christian Era)

4. Centre opted.

5. Name and address of office where working.

6. Are you a :—

(i) Scheduled Caste.

(ii) Scheduled Tribe.
Answer 'Yes' or 'No'

7. (i) Father's Name.
(ii) Husband's Name (in case of lady candidate).

8. State the language (Hindi or English) in which you wish to take the shorthand test.

9. Whether appeared in the previous examination, if so, indicate the month and Roll Number.

10. (a) Are you a permanent or temporary regularly appointed officer of the Lower Division Grade/ Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and have rendered not less than two years approved and continuous service in the relevant grade on the crucial date.

NOTE : Crucial date means :

(i) First day of the January of the year if the examination is notified to be held before 1st July of that year.

(ii) First day of August of the year if the examination is notified to be held on or after 1st July of the year.

(b) Date from which regularly employed as LDC/UDC in the cadre.

11. In case you are on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or the ex-cadre post is on transfer basis state whether you continue to hold a lien on the previous post.

NOTE : Please attach six slips showing the names and address.

Signature of the candidate.

TO BE FILLED BY THE HEAD OF DEPARTMENT OF THE OFFICE WHERE THE CANDIDATE IS SERVING.

Certified that :—

(i) The entires made by the candidate in columns of the application have been verified with reference to his/her service records and are correct.

(ii) His application has been scrutinised and it is certified that he fulfils all the conditions laid down in the rules and is eligible in all respects to appear at the examination.

Signature :
Name :
Designation :
Deptt/Office

No.

Date

NOTE : A candidate who once fails can take the examination only after another three months, i.e. a canddate who fails in the exam. to be held in April, can take the exam. to be held in October or subsequently.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 15th June 1989

No. 27/5/89-CL. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Dhanraj, Inspecting Officer, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209A.

No. 27/5/89-CL. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise S/Shri K. Panchapakesan, Inspecting Officer and T. Amarnath, Asstt. Inspecting Officer in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

M. L. SHARMA
Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 9th June 1989

RESOLUTION

F. No. 3/1/86-FBP.—In partial modification to this Ministry's resolution No. 3/1/86-FBP dated 11th October, 1988 regarding constitution of the Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage Project, it has been decided to reconstitute the Technical Advisory Committee as follows :—

Chairman

1. Member (D&R), Central Water Commission.

Members

2. Dirctor, Central Water & Power Research Station, Pune.

3. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Patna.
(Alternative-Member, GFCC).

4. Representative of the Calcutta Port Trust.

5. Representative of the Ministry of Surface Transport.

6. Chief Engineer, Irrigation and Waterways Deptt., Government of West Bengal.

7. Engineer-in-Chief, Irrigation Department, Govt. of Bihar.

Member-Secretary

8. General Manager, Farakka Barrage Project.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Office the Secretary to the President and the Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for General information.

DR. J. P. SINGH, Addl. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

New Delhi, the 28th June 1989

RESOLUTION

Sub : Reconstitution of Advisory Committee for the Indian Institute of Legal Metrology Ranchi.

No. WM-2(15)/88.—In pursuance of rule 8 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules, 1980 and in supersession of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Civil Supplies) Resolution No. WM-2(5).84 dated the 27th November, 1984, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Committee of the Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi, consisting of :—

Chairman/Chairperson

1. Secretary to the Government of India, Department of Civil Supplies.

Members

2. General Manager, India Government Mint, Fort, Bombay.

3. Dr. R. G. Kumble, Director,

   Ministry of Science & Technology, New Delhi.

4. Shri B. S. Saluja, Addl. Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law & Justice, New Delhi.

5. Director, National Physical Laboratory, New Delhi.

6. Shri R. Kumar. Executive Director (Service), Avery India Limited, 28 Community Centre, Saket, New Delhi-17.

7. Head, Department of Education in Science and Mathematics, National Council of Education Research and Training, New Delhi.

8. Head, Workshop Department, National Council of Education Research and Training., New Delhi.

9. Controller of Weights and Measures Government of Kerala, Trivandrum.

10. Shri G. V. Viragi, Joint Controller of Legal Metrology, Maharashtra State Bombay.

11. Controller of Weights and Measures, Government of Manipur, Imphal.

12. Deputy Director, Weights and Measures, Government of Jammu & Kashmir, Jammu.

13. Trainee representative, Indian Institute of Legal Metrology.

14. Director-General, Bureau of Indian Standards, New Delhi.

Co-opted Members

15. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Food and Civil Supplies, New Delhi.

16. Group Captain (Retd.) M. Mukutmoni, Director-General, Standarisation Testing & Quality Control, Directorate,

    Department of Electronics, C-91 South Extension Part II, New Delhi-110 049.

Ex-officio Member

17. Director of Legal Metrology, Department of Civil Supplies.

Ex-Officio Convener

18. Principal, Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi.

S. NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 16th June 1989

No. Q-16011/1/88-ESA(WE)(.).—In pursuance of Rule 3(iv) read with Rule, 4(v) and (vii) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri R. D. Gupta, Adviser SCOPE, as a member on the Central Board for Workers Education in place of Dr. S. Ramanathan, Member (Personnel), Oil & Natural Gas Commission, New Delhi, representing SCOPE from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Rehabilitation's Notification No. Q-16012/2/83-WE dated 23rd/24th June, 1983 published in the Gazette of India Part I Section 1.

(i) for existing entry viz :—

"13 Dr. S. Ramanathan, Member (Personnel), Oil & Natural Gas Commission, Allahabad Bank Building, 3rd floor, Parliament Street, New Delhi."

(ii) the following entry shall be substituted viz :—

"13. Shri R. D. Gupta, Adviser SCOPE, C/o SCOPE, SCOPE Complex, 7, Lodi Road, New Delhi-110003".

No. Q-16011/1/88-ESA(WE)(.).—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Shri R. D. Gupta, Adviser SCOPE, as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers Education vice Dr. S. Ramanathan, Member (Personnel) of the Oil and Natural Gas Commission, New Delhi with effect from the date of issue of this Notification.

A. K. CHANDA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989